न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सिमरिया।

विविध वाद संख्या–06/2022–23

प्रथम पक्षः–बिशुन यादव, ग्राम–डाढ़ा, थाना–लावालौंग, जिला–चतरा।

बनाम

द्वितीय पक्षः–कृष्णा साव एवं अन्य, ग्राम–डाढ़ा, थाना–लावालौंग, जिला–चतरा।

1 | 2 | 3

–आदेश–

1. इस वाद की प्रक्रिया आवेदक–बिशुन यादव, पिता–मोहन महतो, ग्राम–डाढ़ा, थाना–लावालौंग, जिला–चतरा के अपील आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। यह अपील अंचल अधिकारी, लावालौंग के वाद संख्या–12/2012–13 में पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया है। इस वाद में प्रथम पक्ष–बिशुन यादव, पिता–मोहन महतो, ग्राम–डाढ़ा, थाना–लावालौंग, जिला–चतरा है तथा द्वितीय पक्ष–कृष्णा साव, पिता–मथुरा साव एवं अन्य (कुल–03) सभी साकिन–डाढ़ा, थाना–लावालौंग, जिला–चतरा है। प्रक्रिया से संबंधित विवादित भूमि की विवरणी निम्नवत् है :–

मौजा का नाम	खाता नं0	प्लॉट संख्या	कुल रकबा
डाढ़ा	01	189	1.77 एकड़

2. यह कि प्रथम पक्ष के द्वारा लिखित कथन/बहस दाखिल कर इस न्यायालय को बताया गया कि:–

(2.1) ये वाद मौजा–डाढ़ा, खाता संख्या–01, प्लॉट संख्या–189, रकबा–1.77 एकड भूमि का किस्म–बकास्त से संबंधित है। यह वाद अंचल अधिकारी, लावालौंग के न्यायालय में निष्पादित वाद संख्या–12/2012–13 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। प्रश्नगत भू–खण्ड राजा प्रजापालकनाथ सिंह के अधिकार में था।

(2.2) यह कि प्रथम पक्ष के पिता–मोहन महतो सीमान्त किसान थे। प्रथम पक्ष बिशुन यादव के पिता–मोहन महतो को प्रश्नगत भू–खण्ड भू–स्वामी राजा प्रजापालकनाथ सिंह के द्वारा 125 रूपये सलामी देकर हुकुमनामा से दिनांक–23.07.1950 को प्राप्त हुआ। प्राप्त होने के उपरान्त दखल–कब्जा में आये। जमींदारी उन्मूलन एवं BLR Act 1950 होने के बाद अंचल सिमरिया में जमाबन्दी कायम करने का आवेदन दिया गया, अंचल अधिकारी द्वारा स्वीकृत करते हुए जमाबन्दी कायम कर लगान रसीद निर्गत किया गया।

(2.3) यह कि मोहन महतो के पाँच पुत्र हुए। 1. जगदीश यादव, 2. किशुन यादव, 3. बिशुन यादव, 4. जानकी यादव एवं 5. तुला यादव। मोहन महतो के मृत्यु के उपरान्त सभी भाई दखल–कब्जा में आये। वर्ष–2022 में प्रथम पक्ष के द्वारा अंचल कार्यालय, लावालौंग जाने के पश्चात् ज्ञात हुआ कि वाद संख्या–12/2012–13 का निष्पादन कर द्वितीय पक्ष के नाम से अवैध जमाबन्दी कायम कर दिया गया है तथा वाद में पारित आदेश की प्रति माँग करने पर उपलब्ध नहीं कराया गया। द्वितीय पक्ष के द्वारा बनावटी कागजातों के आधार पर अंचल कार्यालय को अपने मेल में लाकर अवैध जमाबन्दी कायम करा लिया

Scanned with OKEN Scanner

गया। अंचल न्यायालय में निष्पादित वाद का कोई सूचना प्रथम पक्ष को नहीं दिया गया। साथ ही जब प्रथम पक्ष के नाम से पूर्व में जमाबन्दी कायम थी, तो किस आधार पर अंचल अधिकारी, लावालौंग द्वारा दोहरा जमाबन्दी कायम किया गया।

(2.4) यह कि प्रश्नगत भू–खण्ड की चौहदी–उत्तर में जानकी महतो, दक्षिण में नीज खाता संख्या–05, प्लॉट संख्या–190, पूरब में चतरा–राँची रोड, पश्चित में ज्योतिम साव की भूमि का उल्लेख किया गया है।

(2.5) यह कि द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने पक्ष में दो हुकुमनामा दिखाया गया। एक हुकुमनामा वर्ष–1941 का है, जो द्वितीय पक्ष, उदय प्रसाद के पिता–मथुरा साव के नाम पर है तथा दूसरा हुकुमनामा वर्ष–1948 का है जो द्वितीय पक्ष के दादा सुखारी साव के नाम से प्रस्तुत किया गया है। वर्ष–2012 में अनुमण्डल न्यायालय, चतरा में द0प्र0स0 की धारा–144 के अन्तर्गत वाद संख्या–51/2012–13 उदय साव बनाम विशुन यादव के नाम से वाद चला था, जिसमें उदय साव के द्वारा मथुरा साव, पिता–सुखारी साव के नाम से हुकुमनामा वर्ष–1941 ई0 का प्रस्तुत किया गया। वहीं पुनः वर्ष–2015 में द0प्र0स0 की धारा–144 के अन्तर्गत वाद संख्या–20/2015 उदय प्रसाद बनाम विशुन यादव के नाम से अनुमण्डल न्यायालय, सिमरिया में वाद चला, जिसमें उदय साव के द्वारा दूसरा हुकुमनामा वर्ष–1948 का दाखिल किया गया, जो कि सुखारी साव, पिता–धनी साव, ग्राम–आतमपुर के नाम से दिखाया गया। इससे स्वतः स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल हुकुमनामा बनावटी एवं फर्जी है एवं प्रथम पक्ष की भूमि हड़पने की मंशा से अंचल कार्यालय को अपने मेल में लाकर अवैध जमाबन्दी कायम करा लिया गया है।

(2.6) यह कि प्रथम पक्ष के द्वारा अनुरोध किया गया है कि द्वितीय पक्ष द्वारा बनावटी एवं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कायम जमाबन्दी को निरस्त करते हुए प्रथम पक्ष की जमाबन्दी को यथावत रखने की कृपा की जाय।

(2.7) प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में 1. मोहन महतो के नाम से हुकुमनामा की छायाप्रति, 2. जमींदारी लगान रसीद की छायाप्रति, 3. पंजी–II के पृष्ठ संख्या–5/1 ऑनलाईन की प्रति एवं 4. सरकारी ऑफलाईन लगान रसीद–000356 वर्ष–2013–14 से 2014–15 तक 5. ऑनलाईन लगान रसीद सं0–09213317 वर्ष–2015–16 से 2021–22 तक की छायाप्रति संलग्न किया गया है।

3. दूसरी ओर द्वितीय पक्ष द्वारा लिखित कथन एवं बहस दाखिल कर इस न्यायालय को यह अवगत कराया गया है कि :–

(3.1) प्रथम पक्ष द्वारा लाया गया वाद आधारहीन एवं तत्काल खारिज करने योग्य है। प्रथम पक्ष द्वारा यह वाद अंचल कार्यालय, लावालौंग में निष्पादित वाद संख्या–12/2012–13 (उदय प्रसाद बनाम बिशुन यादव) में पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया है। मामला मौजा–सिकनी के खाता संख्या–01, प्लॉट संख्या–189, रकबा–1.77 एकड भूमि से संबंधित है। प्रथम पक्ष के द्वारा प्रश्नगत भूमि हुकुमनामा के आधार पर दावा किया जा रहा है। संबंधित मामला अनुमण्डल न्यायालय, सिमरिया में धारा–145 के अन्तर्गत भी विचाराधीन है।

Scanned with OKEN Scanner

(3.2) यह कि द्वितीय पक्ष स्व0 सुखारी साहु के वंशज हैं तथा इन्हीं के नाम पर प्रश्नगत भू–खण्ड राजा प्रजापालक नाथ सिंह द्वारा बन्दोबस्त किया गया है। द्वितीय पक्ष को पैतृक संपत्ति खाता संख्या–01, 34, 05, 06, 18 सहित अन्य भू–खण्ड प्राप्त है। खाता संख्या–01, प्लॉट संख्या–189, रकबा–1.77 एकड, कुल रकबा–7.53 एकड़ भूमि पंजी–II में दर्ज है एवं लगान रसीद 1968 तक सुखारी साव के नाम पर निर्गत है। बाद में पता चला कि खाता संख्या–01, प्लॉट संख्या–189, रकबा–1.77 एकड़ भूमि का लगान रसीद निर्गत नहीं हो रहा है। जिसके उपरान्त अंचल कार्यालय, लावालौंग में आवेदन दिया गया, जिसके आलोक में वाद संख्या–12/2012–13 (उदय प्रसाद बनाम बिशुन यादव) प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए पर्याप्त समय दिया गया, परन्तु द्वितीय पक्ष बिशुन यादव के द्वारा इस वाद में कोई रूची नहीं ली गई। प्रथम पक्ष के उदय प्रसाद के दावे को सत्य मानते हुए माननीय अंचल न्यायालय द्वारा वाद संख्या–12/2012–13 प्रथम पक्ष के पक्ष में आदेश पारित कर लगान रसीद निर्गत करने का आदेश दिया गया।

(3.3) यह कि विविध वाद संख्या–12/2012–13 द्वितीय पक्ष बिशुन यादव द्वारा अपने पक्ष में राजस्व कागजात प्रस्तुत करने में असमर्थ रहें कि पंजी–II में दर्ज खाता संख्या–15 ही है न कि खाता संख्या–01 एवं 05। यह कि पंजी–II के पृष्ठ संख्या–5/1 पर प्रथम पक्ष के पिता मोहन महतो पिता सोमर महतो के नाम से खाता संख्या–15, 20, 34 मद्धे जमा रकबा–4.51 एकड की कायम जमाबन्दी खाता संख्या–15 से संबंधित है, न कि खाता संख्या–01 एवं 05 से है।

(3.4) द्वितीय पक्ष के कृष्णा साव एवं शंकर साव के द्वारा प्रश्नगत भू–खण्ड में से अपने हिस्से के 0.60–0.60 एकड़ भूमि कुल–1.20 एकड़ दो अलग–अलग केवाला से नवीन प्रसाद साहु, पिता–राधे श्याम प्रसाद साहु, वर्ष–2014 में बिक्री किया गया है तथा वर्ष–2022–23 में अंचल कार्यालय लावालौंग से जमाबंदी कायम कराया गया उसमें प्रथम पक्ष के द्वारा कोई भी दावा अपत्ति दर्ज नहीं कराया गया था, साथ ही अंचल कार्यालय के द्वारा द्वितीय पक्ष का दखल–कब्जा पाया। इससे स्पष्ट है कि भूमि द्वितीय पक्ष के दखल–कब्जा में था।

(3.5) यह कि अंचल अधिकारी, लावालौंग द्वारा पारित आदेश के 10 वर्षों के उपरान्त भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सिमरिया के न्यायालय में अपील लाना समय सीमा से बाहर है एवं तत्काल खारिज करने योग्य है। द्वितीय पक्ष के द्वारा अनुरोध किया गया है कि प्रथम पक्ष के अपील आवेदन को खारिज करते हुए द्वितीय पक्ष की जमाबन्दी को यथावत रखने की कृपा की जाय।

(3.6) द्वितीय पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में 1. अंचल अधिकारी, लावालौंग द्वारा वाद संख्या–12/2012–13 में पारित आदेश की छायाप्रति, 2. ऑनलाईन पंजी–II के पृष्ठ संख्या–156/2 एवं ऑफलाईन पंजी–II के पृष्ठ संख्या–14/1 की छायाप्रति 3. सादा हुकुमनामा वर्ष–1948 4. ऑफलाईन लगान रसीद संख्या–000237 वर्ष–2014–15 की छायाप्रति दाखिल किया गया है।

4. यह कि अंचल अधिकारी, लावालौंग के पत्रांक–139, दिनांक–04.04.2025 से प्रश्नगत भू–खण्ड से संबंधित प्रतिवेदन निम्नवत है :–

Scanned with OKEN Scanner

(4.1) प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि प्रथम पक्ष बिशुन यादव के पिता–मोहन महतो को खाता संख्या–01, 05, 20 एवं 34, प्लॉट सं0–95, 189, 98, 97 एवं 187 कुल रकबा–4.51 एकड़ भूमि, दिनांक–23.07.1950 को राजा प्रजापालक नाथ सिंह के द्वारा हुकुमनामा से प्राप्त है, जिसका जमीनदारी लगान रसीद निर्गत है। प्रथम पक्ष के द्वारा वर्ष–1954 से 1960 तक कुल–07(सात) लगान रसीद मोहन महतो, पिता–सोमर महतो के नाम से प्रस्तुत किया गया है। साथ ही वर्ष–2009–10, 2011–12, 2013–14 एवं 2014–15 का लगान रसीद कुल रकबा–4.51 एकड़ भूमि का प्रस्तुत किया गया है।

(4.2) गह कि प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक–18.03.2020 का ऑनलाईन पंजी-II के पृष्ठ संख्या–05 पर मोहन महतो, पिता–सोमर महतो का नाम से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें खाता सं0–01, 05, 20 एवं 34 कुल रकबा–4.51 एकड़ अंकित है तथा दिनांक–09.02.2023 का ऑनलाईन पंजी–II के पृष्ठ संख्या–5/1 पर खाता सं0–01, 05, 20 एवं 34 कुल रकबा–2.74 एकड़ अंकित है। मोहन महतो के नाम से कुल जमाबंदी रकबा–4.51 एकड़ भूमि से रकबा–1.77 एकड़ किस सक्षम पदाधिकारी के आदेश से घटाया गया है इसका वर्णन ऑनलाईन पंजी–II के प्राधिकार कॉलम में अंकित नहीं है। अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा के द्वारा निष्पादित द0प्र0स0 की धारा–144, वाद संख्या–51/2012 में प्रथम पक्ष विशुन यादव के पक्ष में आदेश पारित है। दूसरी ओर द्वितीय पक्ष के वंशज सुखारी साहु, पिता–धनी साहु को प्रश्नगत भू–खण्ड दिनांक–09.04.1948 को राजा प्रजापालक नाथ सिंह के द्वारा हुकुमनामा से प्राप्त है तथा भूमि बकास्त खाते की है। द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत लगान रसीद एवं पंजी–II के अनुसार पंजी-II के पृष्ठ संख्या–156/2 पर खाता संख्या–1, प्लॉट सं0–189, रकबा–1.77 एकड़ भूमि सुखारी साव, पिता–धनी साव के नाम से अंकित है। यह जमाबंदी अंचल अधिकारी, लावालौंग के द्वारा निष्पादित विविद वाद संख्या–12/2012–13 में पारित आदेश के आलोक में जमाबंदी कायम की गई है। साथ ही द्वितीय पक्ष के कृष्णा साव एवं शंकर साव के द्वारा केवाला संख्या–5180, दिनांक–01.11.2014 एवं केवाला संख्या–5181, दिनांक–01.11.2014 के द्वारा क्रेता नवीन प्रसाद साहु, पिता–राधे श्याम प्रसाद को खाता संख्या–01, प्लॉट संख्या–189 से 0.60–0.60 एकड़ कुल–1.20 एकड़ भूमि का बिक्रय कर दिया गया है, जिसके बाद क्रेता के द्वारा दाखिल–खारीज वाद संख्या–72/2022–23 एवं 73/2022–23 से जमाबंदी कायम कर लगान रसीद निर्गत कराया गया है। शेष–0.57 एकड़ भूमि की जमाबंदी सुखारी साव के नाम से कायम है।

(4.3) प्रश्नगत भू–खण्ड पर उभय पक्ष का आंशिक भूमि पर घर बाड़ी बना हुआ है तथा शेष भूमि परती है। स्थलीय निरीक्षण के क्रम में उपस्थित ग्रामीणों से पूछ–ताछ के क्रम में पता चला की प्रश्नगत भू–खण्ड पर बिशुन यादव एवं उनके पूर्वजों के द्वारा जोत–कोड करते आ रहे है तथा उनका दखल–कब्जा है, परन्तु वर्ष–2012 में विवाद होने पर प्रश्नगत भू–खण्ड का अधिकांश भाग परती है। उभय पक्षो के द्वारा प्रश्नगत भू–खण्ड से संबंधित अलग–अलग दस्तावेज प्रस्तुत कर अपना स्वामित्व का दावा कर रहे है। द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रश्नगत भू–खण्ड से संबंधित तीन अलग–अलग मौको पर तीन प्रकार से दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। 1. अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा द्वारा निष्पादित द0प्र0स0 की धारा–144, वाद संख्या–51/2012 में द्वितीय पक्ष के द्वारा वर्ष–1941 का मथुरा साव के नाम हुकुमनामा प्रस्तुत किया गया था। 2. अनुमण्डल कार्यालय, सिमरिया में संधारित द0प्र0स0 की धारा–144 के अन्तर्गत वाद संख्या–20/2015 में सुखारी साव के नाम से

Scanned with OKEN Scanner

वर्ष–1948 का हुकुमनामा। 3. द्वितीय पक्ष के द्वारा वर्ष–2014 में जो केवाला किया गया था, उसमें सर्वे खतियान में सुखारी साव के नाम से दर्ज बताया गया था।

5. उक्त परिपेक्ष्य में उभय पक्षों द्वारा दाखिल लिखित कथन/लिखित बहस एवं राजस्व कागजातों के अवलोकन, विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने के उपरान्त एवं अंचल अधिकारी, लावालौंग का पत्रांक–139, दिनांक–04.04.2025 के प्रतिवेदन के आलोक में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि :–

(5.1) अंचल अधिकारी, लावालौंग के द्वारा विविध वाद संख्या–12/2012–13 (उदय प्रसाद बनाम बिशुन यादव) में पारित आदेश में उल्लेख है कि प्रथम पक्ष उदय प्रसाद के दादा सुखारी साहु के नाम से पूर्व से चली आ रही जमाबंदी को संशोधित कर कुल रकबा का लगान रसीद निर्गत करने का आदेश पारित है। वाद में बिना अवलोकन किये निम्न बिन्दुओं पर आदेश पारित किया गया है:–

I. संधारित वाद में संलग्न पंजी–II के पृष्ठ संख्या–14/1 एवं जिला अभिलेखागार का पत्रांक–56, दिनांक–03.04.2025 से उपलब्ध कराई गई पंजी–II के पृष्ठ संख्या–14/1 भिन्न है। जिला अभिलेखागार से प्राप्त पंजी–II के पृष्ठ संख्या–14/1 में खाता सं0–01 दर्ज नहीं है।

II. वाद में पारित आदेश के आलोक में प्रश्नगत भू–खण्ड का पंजी–II के पृष्ठ संख्या–156/2 पर दाखिल–खारीज वाद संख्या–12/2013 से नई जमाबंदी किस आधार पर कायम की गई है। उक्त कायम की जमाबंदी **"राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या–15/ल0–3–नीति–27/97 914/रा0, पटना, दिनांक–09.12.1998"** के प्रतिकुल है। अंचल अधिकारी, लावालौंग के द्वारा पारित आदेश में पूर्व से चली आ रही जमाबंदी को संशोधित कर कुल रकबा का लगान रसीद निर्गत करने का आदेश पारित था।

III. पारित आदेश में वर्ष–1962 से 1968 तक के लगान रसीद का उल्लेख है। इससे स्पष्ट है कि 1962 से पूर्व का लगान रसीद नहीं देखा गया है।

उक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी, लावालौंग के द्वारा वाद में कुल राजस्व कागजातों की जाँच किये बिना ही आदेश पारित किया गया है। साथ ही उनके कार्यालय/अंचल अधिकारी के द्वारा पारित आदेश का भी उल्लंघन किया गया है।

(5.2) द्वितीय पक्ष उदय प्रसाद के द्वारा तीन प्रकार से प्रश्नगत भू–खण्ड पर स्वामित्व का दावा कर रहे है :

I. अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा द्वारा निष्पादित द0प्र0स0 की धारा–144, वाद संख्या–51/2012 में द्वितीय पक्ष के द्वारा वर्ष–1941 का मथुरा साव के नाम हुकुमनामा प्रस्तुत किया गया था।

II. अनुमण्डल कार्यालय, सिमरिया में संधारित द0प्र0स0की धारा–144 के अन्तर्गत वाद संख्या–20/2015 में सुखारी साव के नाम से वर्ष–1948 का हुकुमनामा।

III. द्वितीय पक्ष के द्वारा वर्ष–2014 में केवाला संख्या 5180 एवं 5181 दिनांक–01.11.2014 किया गया उसमें सर्वे खतियान में सुखारी साव के नाम से दर्ज बताया गया था।

Scanned with OKEN Scanner

उक्त बिन्दुओं के आधार पर द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत वर्ष–1948 का हुकुमनामा BLR Act की धारा 4(h) के प्रतिकुल है, जिससे द्वितीय पक्ष का दावा संदेहात्मक प्रतीत होता है।

प्रथम पक्ष के द्वारा प्रस्तुत वर्ष–1950 का हुकुमनामा भी BLR Act की धारा 4(h) के प्रतिकुल है।

(5.3) अंचल अधिकारी, लावालौंग के द्वारा दाखिल–खारीज वाद संख्या–72/2022–23 एवं 73/2022–23 के द्वारा केवाला संख्या–5180 एवं 5181 दिनांक–01.11.2014 के आधार पर नवीन प्रसाद साहु के नाम से पंजी–II के पृष्ठ संख्या–8/3 एवं 9/3 पर जमाबंदी कायम की गई है, जो कि **"बिहार कास्तकार जोत (अभिलेख संधारण) अधिनियम, 1973 की धारा–14 एवं बिहार कास्तकार जोत (अभिलेख संधारण) नियमावली, 1976 की नियम–32, 33, 34 एवं 35** का उल्लंघन है।

(5.4) प्रश्नगत भू–खण्ड से संबंधित मामला अनुमण्डल न्यायालय, सिमरिया में वर्ष–2014–15 से द०प्र०स० की धारा–144 एवं 145 तथा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सिमरिया के न्यायालय में वर्ष–2021–22 से प्रश्नगत भू–खण्ड से संबंधित मामला प्रक्रियाधीन है। स्पष्ट है कि वादी एवं प्रतिवादी का दखल–कब्जा से संबंधित मामला न्यायालय में लंबित है ऐसे में द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रश्नगत भू–खण्ड का विक्रय किया जाना एवं विक्री किये गये भूमि पर क्रेता का जमाबंदी कायम किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है, जबकि प्रथम पक्ष बिशुन यादव के पिता–मोहन महतो की जमाबंदी प्रश्नगत भू–खण्ड पर पूर्व से चली आ रही है।

(5.5) यह कि वाद के सुनवाई के क्रम में उभय पक्षो के द्वारा प्रस्तुत हुकुमनामा वर्ष–1946 के बाद का है, जो की BLR Act की धारा 4(h) का प्रतिकुल है। उभय पक्षो के द्वारा अलग–अलग राजस्व कागजातो से अपने स्वामित्व का दावा कर रहे है। मामला हक–हकियत से संबंधित है, जिसका निर्णय सक्षम न्यायालय से संभव है। जबतक स्वामित्व का निर्धारण सक्षम न्यायालय से नहीं हो जाता है तबतक द्वितीय पक्ष उदय प्रसाद के दादा सुखारी साहु के नाम से पंजी–II के पृष्ठ संख्या–156/2 एवं नवीन प्रसाद साहु के नाम से चल रही जमाबंदी पंजी–II के पृष्ठ सं0–08/3 एवं 9/3 को स्थगित किया जाता है तथा राजस्व हित में प्रथम पक्ष से लगान वसुली का आदेश अंचल अधिकारी, लावालौंग को दिया जाता है। असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र है।

वाद की अग्रेतर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

15/04/2025

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

15/04/2025

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

Digitally signed by Sunny Raj
Date: 2025.04.16 17:33:27 +05:30
Location: 192.168.1.4

Scanned with OKEN Scanner